रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238642
CG-DL-E-07092022-238642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944
No. 608] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

सं. 47/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 687(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 56/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 5 मई, 2000, जिसे सा.का.नि. 399 (अ), दिनांक 5 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अन्त:स्थापित किया जाएगा यथा:-

"बशर्ते और भी कि ऐसे आयातकर्ता और निर्यातकर्ता जो कि वांछित उद्देश्य के लिए आयातकर्ता से आपूर्ति प्राप्त कर रहे हों, 1 अक्टूबर, 2022 से सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया, समय-समय पर संशोधित के रूप में, जो भी लागू हो, का अनुपालन करेंगे:".

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/127/2022-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 56/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 5 मई, 2000, को सा.का.नि. 399 (अ), दिनांक 5 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 21 मई, 2020, जिसे सा.का.नि. 306(अ), दिनांक 21 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2022

No. 47/2022-Customs

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 56/2000-Customs,dated the 5th May, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 399 (E), dated the 5th May, 2000, namely:-

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

> "Provided also that the importers and the exporters, who are receiving the supply from the importers for the intended purpose, shall follow the procedure, as applicable, in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017, as amended from time to time, with effect from the 1st October, 2022:".

[F. No. CBIC-190354/127/2022-TO(TRU-I)-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 56/2000-Customs, dated the 5th May, 2000, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 399 (E), dated the 5th May, 2000 and last amended vide notification No. 24/2020-Customs, dated the 21st May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 306(E), dated the 21st May, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

सं. 48/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 688(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 8 मई, 2000, जिसे सा.का.नि. 413 (अ), दिनांक 8 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) चौथे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अन्त:स्थापित किया जाएगा यथा:-

> "बशर्ते और भी कि ऐसे आयातकर्ता और निर्यातकर्ता जो कि वांछित उद्देश्य के लिए आयातकर्ता से आपूर्ति प्राप्त कर रहे हों, 1 अक्टूबर, 2022 से सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया, समय-समय पर संशोधित के रूप में, जो भी लागू हो, का अनुपालन करेंगे:";